पत्र सं0–NULM-PMU/174/NULM-EST&P (Vol.2) -PF/2015/......69....... /न0वि0एवंआ0वि0

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा, भा0प्र0से0,
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम।
नगर कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद/पंचायत, छपरा, दानापुर, सहरसा, सासाराम, हाजीपुर, डेहरी, सिवान बेतिया, मोतिहारी, बगहा, किशनगंज, बक्सर, जहानाबाद, औरंगाबाद, लखीसराय, नवादा, जमुई, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सुपौल, समस्तीपुर, शेखपुरा, मधेपुरा, अरवल, भभुआ, खगड़िया, बांका, शिवहर एवं दानापुर।

पटना, दिनांक: 10.04.2015

विषयः– **राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के घटक Skill Training & Placement के अंतर्गत Skill Training कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विकेन्द्रीकरण के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM) के EST&P घटक के कार्यान्वयन को गति प्रदान करने एवं इसमें शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विभाग द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए है–

1. ST&P के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदाता संस्था के चयन की प्रक्रिया State Urban Livelihood Mission (SULM) के द्वारा की जाएगी।

2. ST&P के घटक का कार्यान्वयन नगर निकाय के माध्यम से किया जाएगा। कार्यान्वयन से संबंधित मार्गदर्शिका संलग्न है।

3. शहरी स्थानीय निकायों को प्रथम चरण में ट्रेडवार/STP Wise लक्ष्य निर्धारित किये गए है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

4. सभी नगर निकाय इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए NULM मार्गदर्शिका के प्रावधानों के अनुसार लाभान्वितों को mobilize करेंगे। इस क्रम में संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान भी नगर निकाय से समन्वय करके मोबिलाइजेशन के कार्यों मे सहयोग करेंगे। इसकी लाभार्थिवार MIS प्रविष्टि अनिवार्य होगी।

5. प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा लक्ष्य के अनुसार एवं NULM मार्गदर्शिका के अनुरूप 30 लाभार्थी प्रति बैच का गठन किया जायेगा।

6. Mobilize किये गए प्रशिणार्थियों को प्रशिक्षण, संबंधित नगर निकाय के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण प्रदाता संस्था द्वारा प्रदान किया जायेगा।

7. सभी प्रशिक्षण केन्द्रों पर प्रशिक्षणार्थियों का प्रतिदिन Web based biometric attendance एवं पूरे प्रशिक्षण कार्यकम का विडियोग्राफी कराना STP के लिए अनिवार्य होगा।

8. संबंधित नगर निकाय NULM की मार्गदर्शिका में अंकित प्रावधानों एवं विभाग के द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षण की गुणवत्ता एवं नियोजन से संतुष्ट होने के उपरांत ही प्रशिक्षण दाता संस्था को देय राशि का भुगतान करेंगे।

9. प्रशिक्षण प्रदाता संस्थान NULM की MIS पर प्रविष्टि सुनिश्चित करेंगे ताकि SULM-PMC के माध्यम से सामयिक प्रभावी अनुश्रवण किया जा सके।

10. नगर निकाय के द्वारा प्रशिक्षण कार्यकम की गहन समीक्षा, अनुश्रवण तथा गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

11. शहरी स्थानीय निकायों में CMMU के प्रतिनियुक्त कर्मी इस कार्य हेतु समन्वय एवं सहयोग करेंगे।

12. नगर निकायों को लक्ष्य के अनुसार आवश्यकता का आकलन कर 50% राशि अग्रिम तौर पर शीघ्र ही आवंटित की जाएगी।

अनु0–यथोक्त

विश्वासभाजन,

7.8.15

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।